राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1527/2015/झालावाड़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–झालावाड़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सांई महिमा स्टोन एण्ड टाईल्स, झालरापाटन. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 18/05/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 03/13–14/सीएसटी/झालावाड़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–झालावाड़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1999–2000 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 10.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत की गई पत्थर, फर्सी पर खादी ग्रामोद्योग के तहत पंजीकृत होने के बावजूद भी करमुक्ति प्रदान नहीं की गई एवं 2,51,144/– की बिक्री पर कर एवं ब्याज आरोपित करते हुए कुल रूपये 62,658/– की मांग सृजित की गई थी जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए व्यवहारी को खादी ग्रामोद्योग की अधिसूचना के तहत पात्र मानते हुए आरोपित कर सरचार्ज एवं ब्याज को अपास्त किया है।

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया है कि के.वी.आई.सी. द्वारा पत्थर के व्यवसायियों को प्रमाण–पत्र जारी किया जाना अविधिक होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्ति का लाभ प्रदान नहीं किया है जो उचित होने से अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2

5. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचना करते हुए यह निर्णय दिया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2/वित्त ग्रुप–4/18–6 दिनांक 06.03.1978 में के.वी. आई.सी. में पंजीकृत एवं प्रमाण–पत्र धारक को विक्रय कर से मुक्ति प्रदान की गई थी एवं इस सम्बन्ध में विभाग के कर निर्धारण अधिकारीयों को संशय उत्पन्न होने पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 16(56)टैक्स/ सीसीटी/87/750 दिनांक 26.05.1995 से स्पष्ट किया गया था कि वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत एवं के.वी.आई.सी. के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा राज्य में निर्मित उत्पादों का अन्तर्राज्यीय विक्रय अधिसूचना दिनांक 06.03.1978 के आधार पर कर मुक्ति के साथ किया जा सकता है। उक्त अधिसूचना में के.वी.आई.सी. की अनुशंषा पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रावधान हैं। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु उनके द्वारा करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया जबकि प्रमाण पत्र जारी करना बाध्यकारी था इसी तरह के समान प्रकरण में माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण द्वारा **मैसर्स जय ज्वालामुखी इण्डस्ट्रीज बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (21 आर.टी.जे.एस. 42)** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सिफारिश के आधार पर व्यवहारी को करमुक्ति का लाभ नहीं देने का निर्णय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना न्यायोचित नहीं है। चूंकि इस प्रकरण में यह पुष्टि की हुई है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को के.वी.आई.सी. के तहत दिनांक 20.12.99 को करमुक्ति अभिशंषा पत्र जारी किया हुआ था जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें दिनांक 01.04.1999 से 31.03.2000 की अवधि के लिये बिक्री कर एवं क्रय कर से मुक्ति प्रमाण–पत्र की अभिशंषा की हुई थी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स योधराज एण्ड संस** में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कोई गलत अभिशंषा की जाती है तो उस स्थिति में कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के बजाय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को अभिशंषा पत्र दिये जाने के निर्णय को संशोधित किये जाने का आवेदन किया जाना चाहिये एवं ऐसे मामलों में कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर अभिशंषा को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस तरह विधिक एवं न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय उचित होने से इसकी पुष्टि की जाती है एवं विभागीय अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

18/7/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य